65

न्यायालय सदस्य राजस्व मंण्डल ग्वालियर

जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

प्रक्र0 R-751-II/2017

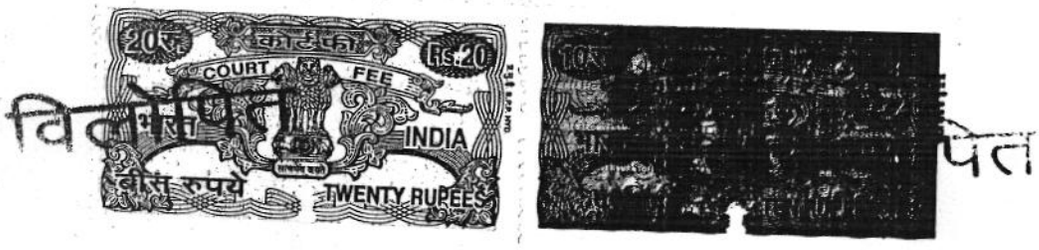

COURT FEE 20 Rs. INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

गोविन्द प्रसाद खेमका आत्मज कन्हैया लाल खेमका निवासी अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

.............................पुनरीक्षणकर्ता

श्री विनोद भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 28-2-17 को प्रस्तुत

बनाम

बृन्दावन पिता अंबिका प्रसाद चतुर्वेदी निवासी अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

.................गैरपुनीक्षणगृहिता

पुनरीक्षणयचिका धारा 50 म0प्र0 भू0रा0स0 बावत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील अनूपपुर म0प्र0 जिला अनूपपुर (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र0 122अ/03/2012–13 पक्षकार गोविन्द बनाम बृन्दावन में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 एव 14.12.2016 के विरुद्ध

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 28-2-2017

प्रकरण के तथ्य,

1. यहकि, पुनरीक्षणकर्ता गोविन्द प्रसाद द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 51 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू0रा0स0 का इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर जिला–अनूपपुर के राजस्व प्रकरण क्र0 91/अ–03/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2012 का पुर्नविलोकन करते हुए आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-751-दो/2017 जिला - अनूपपुर **गोविन्द विरूद्ध** बृन्दावन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 122अ/03/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23-09-2016 एवं 14-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-02-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

27.12.18

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 27/12/2018
सदस्य